Volume-4, No. I, Feb-2017, pp.Hin.- 28-30

शिक्षा में छिपा है महिला सशक्तिकरण का रहस्य

डॉ. डी.पी. मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय
कमला नेहरू भौतिकी एवं सामाजिक संस्थान सुलतानपुर उ0प्र0 भारत।

सार :
महिला सशक्तिकरण की जब भी बात की जाती है, तब सिर्फ राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर चर्चा होती है पर सामाजिक सशक्तिकरण की चर्चा नहीं होती ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता रहा है। उन्हें सिर्फ पुरुषों से ही नहीं बल्कि जातीय संरचना में भी सबसे पीछे रखा गया है। इन परिस्थितियों में उन्हें राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात बेमानी लगती है, भले ही उन्हें कई कानूनी अधिकार मिल चुके हैं। उन महिलाओं का जब तक सामाजिक सशक्तिकरण नहीं होगा, तब तक वह अपने कानूनी अधिकारों का समुचित उपयोग नहीं कर सकेंगी. सामाजिक अधिकार या समानता एक जटिल प्रक्रिया है, कई प्रतिगामी ताकतें सामाजिक यथास्थितिवाद को बढ़ावा देती हैं और कभी–कभी तो वह सामाजिक विकास को पीछे धकेलती हैं।

मुख्य शब्द : प्राथमिक शिक्षा, 73वें संविधान,

प्राथमिक शिक्षा पूरी शिक्षा प्रणाली की नींव है और इसकी उपलब्धता स्थानीय स्तर पर होती है। इस वजह से बड़े अधिकारी या राजनेता प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था की कमियों, जरूरतों से लगातार वाकिफ नहीं होते, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अत: यह जरूरी है कि प्रारंभिक शिक्षा की निगरानी एवं जरूरतों के प्रति स्थानीय प्रतिनिधि अधिक सजगता रखें. चूंकि शहरों की अपेक्षा गांवों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की स्थिति बदतर है, इसलिए गांवों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने और बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने पर खास जोर देने की जरूरत है।

73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी पिछले 10–15 वर्षों में शिक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य नहीं किया. सामान्य तौर पर ऐसा देखने में आया है कि पुरुष पंचायत प्रतिनिधियों ने निर्माण कार्यों पर जोर दिया क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं होती हैं। शुरुआती दौर में महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने भी कठपुतली की तरह पुरुषों के इशारे एवं दबाव में उनकी मर्जी के खिलाफ अलग कार्य नहीं किया। आज भी अधिकांश जगहों पर महिला पंच–सरपंच मुखर तो हुई हैं पर सामाजिक मुद्दों के प्रति उनमें अभी भी उदासीनता है। इसके बावजूद महिला पंचों एवं सरपंचों से ही सामाजिक मुद्दों पर कार्य करने की अपेक्षा की जा रही है क्योंकि सामाजिक सशक्तिकरण के लिहाज से यह उनके लिए भी जरूरी है।

इन विषम परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश के कई पंचायतों में आशा की किरण दिख रही है। मध्यप्रदेश में सबसे पहले पंचायत चुनाव हुआ था इसलिए बदलाव की बयार भी सबसे बेहतर यहीं दिख रही हैं। झाबुआ, सतना, होशंगाबाद, हरदा सहित कई जिलों के कई पंचायतों की महिला सरपंचों एवं पंचों ने सामाजिक मुद्दों पर कार्य शुरू कर दिया है। खासतौर से शिक्षा के प्रति उनमें मुखरता आई है। अंतत: महिलाओं ने इस बात को समझना शुरू कर दिया है, कि वास्तविक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा एक कारगर हथियार है।. शिक्षा को अपनी प्राथमिकता सूची में पहले स्थान पर रखने वाली महिला सरपंचों एवं पंचों का स्पष्ट कहना है कि शिक्षा में ही गांव का विकास निहित है और सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाली महिला सरपंचों एवं पंचों को ही वास्तविक रूप से सशक्त माना जा सकता हैं।

प्रत्येक विकसित समाज के निर्माण में स्त्री एवं पुरूष दोनों की सहभागिता आवश्यक है। भावी पीढ़ी के रूप में व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज तथा राष्ट्र तक के चहुँमुखी विकास की जिम्मेदारी में पुरुषों के साथ स्त्रियों की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी है। इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ही परिवार की धुरी, महिला का सशक्तीकरण जरूरी है और सशक्तीकरण के लिए शिक्षा। शिक्षा आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण के लिए पहला और मूलभूत साधन है। शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त, समान व उपयोगी भूमिका दर्ज करा सकती है। दुनिया के जो भी देश आज समृद्ध और शक्तिशाली हैं, वे शिक्षा के बल पर ही आगे बढ़े हैं। इसलिए आज समाज की आधी आबादी अर्थात महिलाएं जो कि विकास की मुख्य धारा से बाहर है, उन्हे शिक्षित बनाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस संदर्भ में राधाकृष्णन

आयोग ने कहा है– ''स्त्रियों के शिक्षित हुए बिना किसी समाज के लोग शिक्षित नहीं हो सकते। यदि सामान्य शिक्षा स्त्रियों या पुरूषों मे से किसी एक को देने की विवशता हो, तो यह अवसर स्त्रियों को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर निश्चित रूप से वह शिक्षा उनके द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुँच जाएगी।'' इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बात स्वीकार की गई है कि महिला शिक्षा का महत्व न केवल समानता के लिए, बल्कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए भी जरूरी है।

स्वतंत्रता के बाद सरकार, महिला संगठनों ,महिला आयोगों आदि के प्रयासों से महिलाओं के लिए विकास के द्वार खुले, उनमें शिक्षा का प्रसार बढ़ा जिससे उनमें जागृति आई, आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ परिणामस्वरूप वे प्रगतिपथ पर आगे बढ़ी। आज महिलाएं राजनीति, समाजसुधार, शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य, विज्ञान, उद्योग, व्यावसायिक प्रबन्धन, शासन–प्रशासन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना, कला, संगीत, खेलकूद आदि क्षेत्रों में पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं । एक ओर यह परिदृश्य अत्यधिक उत्साहवर्धक है परंतु वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि आज भी शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। पूरी दुनिया में स्कूल न जाने वाले 121 मिलियन बच्चों में 65 प्रतिशत लड़किया है। दुनिया के 875 मिलियन निरक्षर वयस्कों में दो तिहाई महिलाएं हैं। इसी प्रकार 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 53.67 प्रतिशत है जिसमें नगरीय क्षेत्र की महिला साक्षरता 72.99 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र की महिला साक्षरता 46.58 प्रतिशत है अर्थात भारत में लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं अभी तक शिक्षा से वंचित हैं। इसी प्रकार प्राथमिक स्तर पर प्रवेश लेने वाली बालिकाओं में से 24.82 प्रतिशत कक्षा 5 तक की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती और उन्हे विद्यालय छोड़ना पड़ता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 50.76 प्रतिशत बालिकाओं को बीच में ही विद्यालय छोड़ कर घरेलू कार्यों में संलग्न होना पड़ता है। स्कूल का दूर होना, यातायात की अनुपलब्धता, घरेलू काम, छोटे भाई–बहनों की देखरेख, आर्थिक व विभिन्न सामाजिक समस्यायें आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो कि बालिका शिक्षा की राह में बाधा उत्पन्न करते हैं।

भारत में साक्षरता दर 75.06 है (2011), जो की 1947 मे मात्र 18% थी। भारत की साक्षरता दर विश्व की साक्षरता दर 84% से कम है। भारत मे साक्षरता के मामले मे पुरुष और महिलाओं मे काफी अंतर है जहां पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 है वहीं महिलाओं में इसका प्रतिशत केवल 65.46 है। महिलाओं मे कम साक्षरता का कारण अधिक आबादी और परिवार नियोजन की जानकारी कमी है।

भारत में संसार की सबसे अधिक अनपढ़ जनसंख्या निवास करती है। वर्तमान स्थिति कुछ इस प्रकार है:

- पुरुष साक्षरता: (82 प्रतिशत)
- स्त्री साक्षरता: (65 प्रतिशत)
- सर्वाधिक साक्षरत दर (राज्य): केरल 94 प्रतिशत
- न्यूनतम साक्षरता दर (राज्य): बिहार 64 प्रतिशत
- सर्वाधिक साक्षरता दर (केन्द्र प्रशासित): लक्षद्वीप 92 प्रतिशत

कम साक्षरता दर के लिए कारण–

- विद्यालयों की कमी (भारत में लगभग 6 लाख स्कूल के कमरों की कमी है)
- स्कूल मे शौचालय आदि की कमी
- जातिवाद (भारत में एक मुद्दा है)
- गरीबी (अधिक जनसंख्या के कारण या अधिक जनसंख्या के कारण साक्षरता मे कमी)
- जागरूकता की कमी

समस्याएँ :

विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं के बनाने के बावजूद दुर्भाग्यवश सभी प्रावधानों पर ईमानदारी से क्रियान्वयन नहीं किया गया, अन्यथा महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया पूर्णता की ओर अग्रसर हो रही होती। कुछ सकारात्मक प्रयासों से उपलब्धियां अवश्य अर्जित हुई, किन्तु अभी यह पूर्ण नहीं है। अभी मात्र 65.46 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हो पायी है न कि शिक्षित। निरक्षरता के कारण ही ये भेदभाव, शोषण व उपेक्षा के दलदल में धंसती रही हैं। इससे बाहर निकलने का कभी भी वास्तविक प्रयास परिवार और शासन प्रशासन ने नहीं किये। पुरूष प्रधान भारतीय समाज महिला सशक्तिकरण को अपने अधिकारों की कटौती के रूप में देख रहा है। संविधान में संशोधन करके नए अधिकार तो शामिल कर दिये जाते हैं, किन्तु क्रियान्वयन के नाम पर तत्परता नहीं दिखायी जाती। जैसे–जैसे महिलाओं की सुरक्षार्थ कानून बनाये जा रहे हैं, वैसे महिलाओं के प्रति अपराधों का ग्राफ ऊपर चढ़ता जा रहा है। विभिन्न कानून नियम होते हुए भी महिलाओं के समान कार्य करने पर समान वेतन और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ना ही उन्हें परिवार में समान अवसर व प्रोत्साहन मिलता है। उन्हें उत्तराधिकार व सम्पत्ति में भी समानता प्राप्त नहीं है। अधिकतर माता–पिता विशेषकर माताएं अशिक्षित होने के कारण अपनी लड़कियों को पढ़ना जरूरी नहीं

समझती। समाजिक कुरीतियां, सांस्कृतिक विसंगतियों, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास महिलाओं की शिक्षा में बाधक हैं।

समाधानः यूरोप में महिला आंदोलन के जनक जे0एस0 मिल ने अपनी पुस्तक "Subjection of Women" में स्पष्ट लिखा है कि– ''महिलाओं के साथ किये जा रहे असमान व अमानवीय व्यवहार को यथा शीघ्र बदलना होगा। उन्हें पुरूषों के समान सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक अधिकार देकर समाज का सर्वांगीण विकास संभव होगा। महिलाओं की समस्याओं को दूर करके ही इनके सशक्तिकरण को संभव बनाया जा सकता है, जो निम्नांकित व्यावहारिक सुझावों से संभव प्रतीत होता है– महिलाओं की दुर्दशा की मूल है–'निरक्षरता, जिसके उन्मूलन हेतु महिला शिक्षा में आने वाली बाधाओं, को दूर करना होगा–

1. विद्यालयों में बालिकाओं के सुरक्षा के सख्त इंतजाम हो।
2. केवल महिलाओं के लिए अलग से विद्यालय खोलें जाएं एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा एवं निर्धन बालिकाओं को आर्थिक सहायता भी दी जाए। उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाए।
3. सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण–पढ़ाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार व समाज दोनों की है। 18 वर्ष तक अविवाहित रहने वाली लड़कियों को आर्थिक सहायता जिससे बाल विवाह पर भी रोक लगेगी।
4. भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार स्कूल, छोड़ देने वाली लड़कियों की बड़ी संख्या ग्रामीण–24.8 प्रतिशत, शहरी–30.2 प्रतिशत पढ़ाई में इच्छा न होने के कारण बताती है। इसके पीछे शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी है। (सी0एस0ओ0 भारत सरकार)।
5. प्रत्येक राज्य में एक अलग महिला विश्वविद्यालय स्थापित की जानी चाहिए एवं एजूकेशन और वोकेशनल गाइडेंस और कैरियर, इन्फारमेंशन सैल स्थापित होने चाहिए।
6. शिशु शिक्षा (विशेष कर जनजातीय क्षेत्रों में) के न्यूनतम स्तर के अधिगम के पैकेज तैयार किए जाने चाहिए।
7. स्त्री कैदियों के लिए Self Learning विकसित किये जाने चाहिए।
8. गरीब महिलाओं को आकर्षित करने हेतु साक्षरता कार्यक्रम निश्चित रूप से रोजगारोन्मुखी होना चाहिए एवं ईमानदार स्वयंसेवी संस्थाओं को महिला शिक्षा में भरपूर सहयोग देना चाहिए।
9. दूरस्थ शिक्षा की संभावनाएं असीम हैं और दुर्गम इलाकों में रहने वाली लड़कियों तथा स्कूल न जाने वाली लड़कियों की शिक्षा में इस माध्यम का भरपूर लाभ उठाया जाना चाहिए।
10. विभिन्न राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में जो स्त्रियां सशक्त बनी है, उनकी सफलता की कहानियां प्रकाशित होनी चाहिए जिससे अन्य महिलाओं को प्रेरणा मिले।

निष्कर्षः शिक्षा के प्रसार से रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। यह बात इस तथ्य से भी साबित होती है कि जिन–जिन राज्य में साक्षरता की दर ऊँची है, वहां कामकाजी महिलाओं की संख्या अधिक है। वास्तव में पिछले दशकों से चल रही महिला योजनाओं, कार्यक्रमों आदि में भारतीय नारी की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार संभव हुए हैं। अ ब परिवार में ही नहीं वरन समाज में भी नारी को चाहरदिवारी, पर्दा प्रथा एवं उपेक्षित व्यवहार से बाहर निकालने हेतु प्रेरित एवं उत्साहित किया जा रहा है। यह बदलाव महिलाओं की प्रगति से स्वतः परिलक्षित होता है, जिससे भविष्य में नारियों को चौतरफा विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसी संदर्भ में नोबेल पुरस्कार विजेता व कल्याण अर्थशास्त्री के प्रोफेसर अमर्त्स सेन न लिखा है– महिला सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक असर पड़ेगा बल्कि पुरूषों और बच्चों को भी इससे लाभ होगा।

हम सिर्फ वैधानिक और संवैधानिक अधिकारों के जोड़ कर देखते रहेगें जब तक इसके साथ महिला की शैक्षणिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी तब तक अधिकारिता का प्रश्न अधूरा रहेगा। शिक्षा का सीधा संबंध विकास के ही विशेषता महिला का विकास तब तक संभव नहीं जब तक वे शिक्षित नहीं क्योंकि महिला साक्षरता का सकारात्मक संबंध बाल विकास, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता निम्न जन्मदर और निम्न मृत्युदर में गिरावट आई है। निरक्षरता के कारण ही महिलाओं भेदभाव, शोषण व उपेक्षा के दलदल में धंसती जा रही है। इससे बाहर निकालने का कभी भी वास्तविक प्रयास परिवार और शासन प्रशासन ने नहीं किए। महिलाओं की दुर्दशा का मूल है– निरक्षरता जिसके उन्मूलन हेतु परिवार से शुरूआत करनी होगी। एक शिक्षित एक साक्षर को और एक साक्षर पड़ोसी पढ़ाए। योजना आयोग की पूर्व सदस्या मीरा सेठ ने सही कहा है–''जब तक देश की आधी आबादी अशिक्षित होगी तब तक महिलाओं के अधिकार मात्र शोपीस बने रहेंगे। वे अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकेंगी।'' महिलाओं को भी अपने सुविधा अधिकार के प्रति जागरूक बनना होगा। महिला वर्ग को भी मिलने वाली स्वतंत्रता, सहानुभूति व सहायता आदि का सदुपयोग करने हेतु वचनबद्ध होना होगा। यदि विश्व की 1/2 आबादी का सशक्तिकरण कर लिया जाए तो वह दिन दूर नहीं जब विश्व की ज्वलंत समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। अतः उपर्युक्त चुनौती रूपी समस्याओं का सामाधान मौलिक व व्यवहारिक सुझावों पर अमल करते हुए किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ :

1. अहमद, एन. अली. एम. (2007) : महिला सशक्तिकरण : चुनौतियां और सम्भावनाएं; प्रतियोगिता दर्पण, नई दिल्ली मार्च।
2. शर्मा,एस0: सामाजिक विकास में शिक्षित महिलाओं का योगदान, कुरूक्षेत्र, मासिक, 2006, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. गुप्ता, एस0 पी0 : भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, 2007 शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
4. नैय्यर, आर0 : स्त्री–पुरूष समानता की ओर, योजना, मासिक, 2006, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. कुमार, एन0 : महिला सशक्तिकरण की कुछ कोशिशे, कुरूक्षेत्र, मासिक, 2007 ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।